13

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 1421-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 22.03.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 211/2015-16/अपील।

श्रीमती राजाबाई अहिरवार पुत्री रामाधीन पत्नी
बल्देव अहिरवार निवासी - बंजारी तह0 चन्देला
जिला छतरपुर (म.प्र.) ....**आवेदिका**

विरुद्ध

श्रीमती श्यामरानी उर्फ मौनी पुत्री रामादीन
पत्नी सिपाहीलाल अहिरवार निवासी बुदयपुरवा
तह0 लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) ....**अनावेदिका**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़

आदेश
(आज दिनांक....07/03/2018....को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 211/2015-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 22.03.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.03.2016 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के समक्ष अपील पेश की गई एवं संहिता की धारा-52 के तहत एक

आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 22.03.2016 द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.03.2016 का क्रियान्वयन रिकॉर्ड आने तक स्थगित किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तथ्यों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश द्वारा रिकॉर्ड आने तक स्थगन दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय का अभिलेख उनके न्यायालय में प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थगन स्वत: ही निष्प्रभावी हो गया है। प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर